भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1253

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृत्व और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

1253. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार की देश में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): भारत सरकार **जननी सुरक्षा योजना** (जेएसवाई), **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** (जेएसएसके), **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन** (सुमन), **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** (पीएमएसएमए)/विस्तारित-पीएमएसएमए, प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल (लक्ष्य), मुस्कान आदि जैसी विभिन्न पहलों/योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए पहुंच एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या में वृद्धि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर सहयोग पूर्वक कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नवत हैं:

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** पहल के अंतर्गत सहमति स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और शिशु को सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचर्या सेवा बिना किसी मनाही के नि:शुल्क प्रदान की जाती है ताकि माताओं और शिशुओं की रोकथाम योग्य सभी मौतों को रोका जा सके।

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को नि:शुल्क परिवहन, नैदानिक सामग्रियों, दवाओं, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान के साथ-साथ जन स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क प्रसव का हक प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक निश्चित दिन, एक विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुफ्त सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।
- विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं , विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) वाली महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या (एएनसी) सुनिश्चित करती है और व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है जब तक कि पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए आशाकर्मी को साथ लेते हुए एक सुरक्षित प्रसव प्राप्त नहीं किया जाता है
- **प्रसवोत्तर** परिचर्या के इष्टतमीकरण का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए आशाकर्मी को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।
- **मिडवाइफरी इनिशिएटिव** नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइव्स (एनपीएम) जो (आईसीएम) दक्षताओं के अनुसार कुशल हैं, के माध्यम से प्राकृतिक प्रसव को बढ़ावा देकर सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक और सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करती है
- **लक्ष्य** लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तत्काल बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्राप्त हो।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच कार्यकलाप है जो आईसीडीएस के अभिसरण में पोषण सहित मातृ और शिशु परिचर्या के प्रावधान को सुनिश्चित करता है ।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच में सुधार के लिए दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में **जन्म प्रतीक्षा गृह (बी डब्ल्यू एच)** स्थापित किए गए हैं।
- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए **आउटरीच शिविरों** का प्रावधान किया गया है। इस प्लेटफार्म का उपयोग मातृ

और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक एकजुटता के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- गर्भवती महिलाओं के लिए परिचर्या की गुणवत्ता तक पहुंच में सुधार के लिए जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज सुनिश्चित करके प्रथम रेफरल **इकाईयों (एफआरयू) को कार्यात्मक बनाना**।
- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उच्च केस लोड सुविधा केन्द्रों में **मातृ और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना करना**।
- जटिल गर्भावस्था को संभालने के लिए देश भर में उच्च केस लोड विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्रों में **एचडीयू और आईसीयू** का संचालन किया जाता है।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक नाम-आधारित वेब-सक्षम ट्रैकिंग प्रणाली है ताकि प्रसवपूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर परिचर्या सहित उन्हें नियमित और पूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।
- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेतों, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा **(एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** वितरित की जाती है।
- अधिक मांग के सृजन के लिए **नियमित आईईसी** अभियान चलाए जाते हैं। स्वस्थ परिपाटियों में सुधार करने और सेवाओं के उपयोग के लिए मांग सृजित करने के लिए बड़े पैमाने पर और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है।
- जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर **विशेष नवजात परिचर्या यूनिट स्थापित** की जाती हैं, बीमार एवं छोटे शिशुओं की परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात स्थिरीकरण इकाईयां (एनबीएसयू) स्थापित की जाती है।
- **गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित बाल परिचर्या (एचबीवाईसी)** कार्यक्रम के अंतर्गत आशाकर्मी द्वारा बच्चों के पालन-पोषण की परिपाटियों में सुधार करने और समुदाय में रुग्ण **नवजात** और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।
- निमोनिया के कारण बाल्यावस्था रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए **सामाजिक जागरूकता एवं निमोनिया को निष्प्रभावी करने संबंधी कार्रवाई (सांस)** पहल का कार्यान्वयन किया जाता है।
- बाल उत्तरजीविता में सुधार के लिए **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात रोग, कमियां, दोष और

विकास में विलंब) के लिए जांच की जाती है। आरबीएसके के तहत जांचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र स्तर पर **जिला प्रांरभिक उपचार केन्द्र(डीईआईसी)** स्थापित किए जाते हैं।

- **गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा**/डिफीट डायरिया(डी2) पहल को ओआरएस और जिंक के प्रयोग को बढ़ावा देने और डायरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
- बाल उत्तरजीविता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के **क्षमता निर्माण** कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। सुविधा केंद्र आधारित एकीकृत नवजात एवं बाल्यावस्था रोग प्रबंधन (एफ-आईएमएनसीआई) और नवजात एवं बाल्यावस्था बीमारी के एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई) का संशोधित प्रशिक्षण पैकेज और सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी) के संशोधित प्रशिक्षण पैकेज को हाल ही में वर्ष 2023 में जारी किया गया अद्यतन पैकेज है।
- **किलकारी** केंद्रीयकृत इन्टरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) मोबाइल आधारित स्वास्थ्य सेवा है जो गर्भावस्था, शिशु जन्म और शिशु परिचर्या के बारे में संबंधित परिवारों के मोबाइल फोन में सीधे गर्भावस्था के दूसरी तिमाही से बच्चे के एक वर्ष की आयु होने तक मुफ्त, साप्ताहिक समयोचित 72 ऑडियो संदेशों को भेजती है ।

****